

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 565]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 30, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 (अग्रहायण 30, 1935)

क्र. 42543-वि.स.-विधान-2013.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

“संविधान के अनुच्छेद 179 के परन्तुक के अधीन अध्यक्ष का पद रिक्त है तथा उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है.

अतः, मैं, रामनरेश यादव, मध्यप्रदेश का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री के. डी. देशमुख, सदस्य विधान सभा, को अध्यक्ष के निर्वाचन पर्यन्त अध्यक्ष पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त करता हूं.

भोपाल :
दिनांक 21 दिसम्बर, 2013

रामनरेश यादव
राज्यपाल.”

आर. के. पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.